

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता  
(आय-व्ययक अनुभाग)

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश

संख्या-4416/आई0बी0/आनलाईन अन्तरण/2024-25

लखनऊ : दिनांक: जनवरी, 23 2025

कार्यालय जाप

उत्तर प्रदेश शासन, वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2022/ए-2-06/दस-2022-10(9)/95, दि0 08.01.2022 के क्रम में संयुक्त सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-100/22-27-सिं-9-65 एसएवी/21, दिनांक 07.02.2022 द्वारा सी0सी0एल प्रणाली को समाप्त कर कोषागार प्रणाली लागू किये जाने के फलस्वरूप इस कार्यालय के प्राधिकृत पत्रों द्वारा किये गये आवंटन के क्रम में संबंधित मुख्य अभियन्ताओं द्वारा आनलाईन अन्तरण हेतु की गई मांग के क्रम में सम्बन्धित खण्डों को व्यय हेतु सर्वर पर आनलाईन फीडिंग/अन्तरण हेतु विवरण निम्नानुसार प्रदर्शित है:-

धनराशि लाख रू0 में

क्र0 सं0	प्रणाली/परियोजना का नाम	पूर्ण लेखाशीर्ष	डी0डी0ओ0 कोड	खण्ड का नाम/आहरण एवं वितरण अधिकारी	जनपद	अन्तरण हेतु धनराशि	अभ्युक्त ि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मु0अभि0 (नलकूप दक्षिण) कानपुर के पत्रांक-4314/मु0अ0न0द0, दि0-18.01.25 के अनुसार	94-2701-80-800-05-29	4812	नलकूप खण्ड-प्रथम, इटावा।।	इटावा	10.00	
2	मु0अभि0 (नलकूप दक्षिण) कानपुर के पत्रांक-4288/मु0अ0न0द0, दि0-16.01.25 के अनुसार	94-2701-66-101-03-0301-29	4801	नलकूप खण्ड-प्रथम, कानपुर।	कानपुर	5.00	
			4811	नलकूप खण्ड-प्रथम, उरई।	उरई	5.00	
3	मु0अभि0 (रा0बा0सु0सं0) लखनऊ के पत्रांक-228/मु0अ0रा0बा0सु0सं0, दि0-17.01.25 के अनुसार	94-2701-80-800-10-29	4810	सिंचाई खण्ड-प्रथम, ललितपुर।।	ललितपुर	90.00	
4	मु0अभि0 एवं निदेशक (वाल्मी) लखनऊ के पत्रांक-27/वाल्मी, दि0-15.01.25 के अनुसार	94-2701-80-800-08-31	4801	समन्वयकारी एवं जॉच खण्ड, लखनऊ।	लखनऊ	64.87	
5	मु0अभि0 (रुहेलखण्ड) बरेली के पत्रांक-219/मुअरूब, दि0-20.01.25 के अनुसार	94-2700-08-101-03-0301-29	4801	हरदोई खण्ड शारदा नहर, हरदोई।	हरदोई	10.00	
6	मु0अभि0 (परि0बेतवा) झांसी के पत्रांक-533/मुअपवे, दि0-20.01.25 के अनुसार	94-2701-80-800-05-29	4811	मौदहा बांध निर्माण खण्ड, हमीरपुर।	हमीरपुर।	10.00	
<b>योग-</b>						<b>194.87</b>	

(रूपये एक करोड़ चौरान्बे लाख सत्तासी हजार मात्र)

अखिलेश कुमार

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं विभागाध्यक्ष।

संख्या-4416 (1)/आई0बी0/तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिं0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि उक्तानुसार तालिका के अनुरूप अंतरण की कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 2- मुख्य अभियन्ता (तकनीकी सलाहकार-बांध सुरक्षा/परिकल्प एवं शोध/रुहेलखण्ड/दक्षिण) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ,उ0प्र0, लखनऊ/बरेली/झांसी।
- 3- मुख्य अभियन्ता (नलकूप दक्षिण/राज्य बांध सुरक्षा संगठन/शारदा/परि0बेतवा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ,उ0प्र0, कानपुर/लखनऊ/बरेली/झांसी।
- 4- मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक (वाल्मी) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता (कम्प्यूटर केंद्र) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- स्टाफ अधिकारी (बजट-2) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

Rakesh Yadav  
( राकेश यादव ) 23/1/25

मुख्य अभियन्ता (बजट)

कृते प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।

Utkarsh  
23/1/25